संख्या-271 /2022/975/2022-01 (बजट)/2021

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 29 अप्रैल, 2022**

विषयः- मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के जनपद रायबरेली के विधानसभा क्षेत्र-रायबरेली के अन्तर्गत स्वीकृत योजना अद्वितीय बेहटा जल सेतु के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-217/मु0प0सं0यो0(27)/2021 दिनांक 12 अप्रैल, 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रश्नगत योजना के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास हेतु सिंचाई विभाग का अनापत्ति प्राप्त न होने के कारण उक्त योजना को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-215/2021/13(2)/41-2021-01(बजट)/2021 दिनांक 16 मार्च, 2021 द्वारा जनपद रायबरेली के विधानसभा क्षेत्र-रायबरेली के अन्तर्गत अद्वितीय बेहटा जल सेतु के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास की स्वीकृत योजना को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया तदनुसार शासनादेश संख्या-215/2021/13(2)/41-2021-01(बजट)/2021 दिनांक 16 मार्च, 2021 एवं शासनादेश संख्या-732/2021/4661/41-2021-317(बजट)/2021 दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 द्वारा अवमुक्त की गयी कुल धनराशि क्रमशः रू० 23.90 एवं रू० 14.59 लाख अर्थात कुल रू0 38.49 लाख (रूपये अड़तीस लाख उन्चास हजार मात्र) की धनराशि को ब्याज सहित नियमानुसार राजकोष में जमा कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य क कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, रायबरेली।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (यूपीआरएनएसएस), लखनऊ।
8- अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (यूपीआरएनएसएस), निर्माण खण्ड लखनऊ।।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, लखनऊ।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in